उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, शुक्रवार, 11 अक्टूबर, 2019 ई0

आश्विन 19, 1941 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

परिवहन विभाग–1

संख्या 496/IX–1/38/2019

देहरादून, 11 अक्टूबर, 2019

अधिसूचना

चूंकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है;

और चूंकि मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (1) पूर्व प्रकाशन के अधीन नियम बनाये जाने की अपेक्षा करती है;

अतएव राज्यपाल, मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा 176 सपठित धारा 212 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन उत्तराखण्ड मोटर यान (संशोधन) नियमावली, 2019 को सर्वसाधारण के सूचनार्थ राजपत्र में प्रकाशित करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं;

राज्यपाल, यह निर्देश देते हैं कि उक्त अधिसूचना से संबंधित हितधारी एवं जनसामान्य इस अधिसूचना से सम्बन्धित कोई भी अभ्यावेदन, आपत्तियों एवं सुझावों के अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर लिखित रूप में सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून–248001 को प्रेषित किए जा सकेंगें।

राज्यपाल, यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त समयावधि के पश्चात, कोई भी अभ्यावेदन आपत्तियां एवं सुझाव को स्वीकार नही किया जाएगा।

Scanned with CamScanner

उत्तराखण्ड मोटरयान (संशोधन) नियमावली, 2019

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का नाम उत्तराखण्ड मोटर यान (संशोधन) नियमावली, 2019 है।

(2) यह नियमावली सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 205 क, 205 ख और 205 ग का विलोपन

2. उत्तराखण्ड मोटर यान नियमावली, 2011 (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है) का नियम 205क, 205ख और 205ग विलोपित कर दिये जायेगें।

नियम 206 का संशोधन

3. मूल नियमावली के नियम 206 के उपनियम (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा.–

(8) दावा अधिकरण अधिनियम की धारा 158 की उपधारा (6) के अधीन अग्रसारित दुर्घटना सूचना रिपोर्ट/प्रथम सूचना रिपोर्ट को दर्ज करने के लिए एक संस्थागत रजिस्टर अभिरक्षित करेगा और उसमें उन्हें विविध प्रार्थनापत्र के रूप में दर्ज करेगा। यदि किसी व्यक्ति द्वारा दुर्घटना सूचना रिपोर्ट/प्रथम सूचना रिपोर्ट के विषय में दावा वाद सीधे दाखिल किया गया हो तो उसे भी उस रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा।

नियम 206 क, और 206 ख का संशोधन

4. मूल नियमावली के नियम 206क और 206ख मे नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियय	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
206क. धारा 158की उपधारा (6) के अधीन प्रस्तुत की गयी पुलिस रिपोर्ट–(1) नियम 205क के उपनियम (4) के अधीन प्रस्तुत की गयी अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट की प्राप्ति पर, दावा अधिकरण उसका परिशीलन करेगा और धारा 166 की उपधारा (4) के अनुसार उचित और प्रभावी कार्यवाही के लिये आवश्यक समझी जाने वाली ऐसी अग्रतर सूचना या सामग्री मांग सकता है।	**206क. अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी का कर्तव्य**– (1) केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 150 में विहित प्ररूप 54 पर अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने के साथ–साथ अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी मापमान पर बनायी गयी एक स्थल योजना तैयार करेगा जिससे कि यथास्थिति मार्ग/मार्गों या स्थान का अभिन्यास और चौडाई आदि सम्मिलित यान/यानों या व्यक्तियों और ऐसे अन्य तथ्यों, जैसा कि स्थिति के अनुसार सुसंगत हो तथा साक्षीगण द्वारा अभिप्रमाणित हो, की स्थिति इंगित हो सके और यदि कोई साक्ष्य उपलब्ध न हो तो वही अभिलिखित हो जायेंगे, जिससे कि

Scanned with CamScanner

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	दुर्घटना से सम्बन्धित साक्ष्य को संरक्षित रखा जा सके। वह अन्य बातों के साथ–साथ दावा अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों के प्रयोजनार्थ दुर्घटना स्थल की सभी कोणों से फोटोग्राफी करवायेगा, जिससे कि उपर्युक्त घटना का स्पष्ट रूप से चित्रण हो सके। वह इस नियम के अधीन संग्रहित स्थल योजना और छायाचित्रों और सत्यापित दस्तावेजों अथवा जाली पाये गये दस्तावेजों के मामलें में की गयी कार्यवाही, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अधीन रिपोर्ट की प्रतियां, चिकित्सा विधि रिपोर्टों और शव परीक्षण रिपोर्ट (मृत्यु के मामलें में) प्रथम सूचना रिपोर्ट दावा अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों के प्रयोजनार्थ तैयार करेगा तथा प्रपत्र एसआर 48ग में दावा अधिकरण को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। परन्तु यह कि ऐसी सूचना बीमा कम्पनी को भी उपलब्ध करायी जायेगी, यदि इसका अनुरोध उसके द्वारा या उसके अभिकर्ता के माध्यम में या आहत/उपहत व्यक्ति द्वारा अथवा दुर्घटना के मृतक के अगले सम्बन्धी या विधिक प्रतिनिधियों द्वारा किया गया हो।
(2) दावा अधिकरण रिपोर्ट और अग्रतर सूचना/सामग्री यदि मांगी गयी हो, का परीक्षण करने के पश्चात उस पर दावा वाद पंजीकृत करेगा और तब सभी सम्बन्धित पक्षकारों को उपसंजाति होने के लिये ऐसी नोटिस जारी करेगा जिसमें, यथास्थिति, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति अथवा मृतक	(2) अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी, दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त मोटरयान के सम्बन्ध में बीमा प्रमाण पत्र/पालिसी की पूर्ण विशिष्टियों को प्राप्त करेगा और मोटर यान नियमावली, 1988 की धारा 158 की उपधारा (1) में उल्लिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा और उस पर उन्हे

Scanned with CamScanner

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
व्यक्तियों के विधिक प्रतिनिधि, दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त यान का ड्राइवर, स्वामी और बीमाकर्ता सम्मिलित होंगे।	या तो प्राप्ति के साक्षेप अपने पास रख लेगा या उन्हे प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति द्वारा अनुप्रमाणन के बाद उनकी छायाप्रतियां रख लेगा।
(3) सूचना की प्राप्ति पर, उपनियम (2) में उल्लिखित पक्षकारों से शपथ पत्र के माध्यम से उपसंजाति होने और घोषणा करने की अपेक्षा की जायेगी, यदि उसी वाद हेतु के सम्बन्ध में कोई दावा वाद किया जा चुका हो या किया जा रहा हो और यदि ऐसा हो तो दावा वाद के रूप में मानी गयी अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट को पक्षकारों द्वारा ऐसे दावा वाद को संलग्न किया जायेगा।	(3) अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी दस्तावेज जारी किये जाने के लिये तात्पर्यित प्राधिकारी से लिखित रूप में पुष्टि करने के पश्चात उपनियम (2) के अधीन एकत्रित दस्तावेजों की वास्तविकता को सत्यापित कर सकता है।
(4) यदि घायल व्यक्ति या मृतक व्यक्ति का विधिक प्रतिनिधि उपनियम (3) में उपदर्शित की गयी रीति से उपनियम (2) के अधीन जारी की गयी सूचना की अनुक्रिया में उपस्थित नहीं होते है/होता है तो दावा अधिकरण यह उपधारित कर सकता है कि उक्त पक्षकार ऐसे कार्यवाहियों में किसी प्रतिकर के लिये उसका पालन करने में हितबद्ध नहीं थे और ऐसी उपधारणा पर वाद को बंद कर दिया जायेगा।	(4) उपनियम (1) से (3) में प्रमाणित अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी के कर्तव्य को इस रूप में मान लिया जायेगा मानो कि वे उत्तराखण्ड पुलिस अधिकारी के कर्तव्य को उत्तरखण्ड पुलिस नियमावली, 2007 की धारा 39 में सम्मिलित हो और तत्सम्बन्ध में किसी प्रकार का उल्लंघन के परिणाम वहीं होंगे जो उक्त विधि में परिकल्पित है।
(5) जब तक दावा वाद के रूप में मानी गयी पुलिस रिपोर्ट स्वयं पक्षकारों द्वारा किये गये स्वतन्त्र दावा वाद से सम्बद्ध नहीं कर दी जाती है तब तक दावा अधिकरण यथास्थिति घायल व्यक्ति या मृतक व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधियों और ऐसे व्यक्तियों, जो सूचना की अनुक्रिया में	

Scanned with CamScanner

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
उपस्थित हुये हो, से प्रतिकर के सम्बन्ध में तथ्यों के कथन यदि उनके द्वारा दावा किया गया हो, प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा।	
(6) यदि दावा किये गये प्रतिकर के बारे में तथ्यो और उनके आधार का कथन पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो वाद उसी रीति से अग्रतर आगे बढाया जायेगा जैसा कि दावा अधिकरण के समक्ष पक्षकारों द्वारा प्रतिकर के लिये सीधे दिये गये आवेदनो को निपटाने के लिये अपेक्षित होता है।	
(7) यदि दावा किये गये प्रतिकर के सम्बन्ध में तथ्यों के कथन पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत कर दिये गये हो और तत्पश्चात प्रकट रूप से त्रुटि करता है तो दण्ड प्रकिया संहिता, 1908 के आदेश नौ के उपबन्ध लागू होंगे।	
206ख–बीमा कम्पनी के कर्तव्य– (1) बीमा कम्पनी, जिसने दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त यान का बीमा किया है, यान के बीमा और बीमा पालिसी के सम्बन्ध में तथ्यों को अभिनिश्चित और सत्यापित करेगी और अधिकरण के समक्ष दावा याचिका में लिखित कथन/आपत्ति के साथ बीमा पालिसी की अपेक्षित प्रतियों को भी दाखिल करेगी।	**206ख–यान की निर्मुक्ति के विरूद्ध प्रतिषेध–**(1) किसी दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त किसी यान को, अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी या उससे वरिष्ठ किसी पुलिस अधिकारी द्वारा तब तक निर्मुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि कोई निर्मुक्ति आदेश अधिकारिता रखने वाले न्यायालय द्वारा पारित नहीं कर दिया जाता है।
(2)बीमा कम्पनी ऐसे वादों में अधिनियम की धारा 140 के अधीन किसी त्रुटि दायित्व के सिद्धान्त पर अधिनिर्णय प्रतिकर के बराबर धनराशि अधिकरण में लिखित कथन के साथ जमा	(2) किसी दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त किसी यान को न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा तब तक निर्मुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी द्वारा नियम 206क के उपनियम (1) से (3) का

Scanned with CamScanner

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
करेगी जहां बीमा पालिसी से अनुपालन सुनिश्चित नहीं कर आच्छादित मोटरयान वाद के लिया जाता है और यथास्थिति परिणामस्वरूप मृत्यु या स्थायी निःशक्तता हुयी हो।	यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र, मार्ग परमिट, उपयुक्तता प्रमाण पत्र की सम्यक रूप से सत्यापित प्रतियों और दुर्घटना के समय वाहन चलाने वाले चालक की चालन अनुज्ञप्ति को आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता है।
(3)उपनियम (2) के अधीन जमा की गयी प्रतिकर की धनराशि का भुगतान अधिकरण द्वारा युक्तियुक्तपूर्वक अधिरोपित निबंधन और शर्तों पर दावेदार को, अंतरिम प्रतिकर के रूप में मामले में अंतिम अधिनिर्णय के साथ समायोजन के अध्यधीन आंशिक या पूर्ण रूप में किया जा सकता है।	(3) कोई भी न्यायालय दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी विकलांगता का कारण बनी किसी भी यान को अवमुक्त नहीं करेगा यदि ऐसे यान के पास तीसरे पक्ष की जोखिम उठाने की बीमा पालिसी नहीं है जब तक कि प्रतिकर के भुगतान के लिये न्यायालय के समाधान के अनुसार यान का स्वामी/रजिस्टर्ड स्वामी पर्याप्त प्रतिभूति जमा न कर दें जिससे ऐसी दुर्घटना से उत्पन्न दावे के मामलें में भुगतान किया जा सके।
	(4) जहां यान से सम्बन्धित बीमा पालिसी में तीसरे पक्ष के लिये जोखिम समावेशित नहीं है या जब यान का स्वामी/रजिस्टर्ड स्वामी उपनियम (3) के अधीन पर्याप्त सुरक्षा देने में विफल रहा है या स्वामी द्वारा प्रस्तुत बीमा पालिसी जाली/नकली पाया जाता है तो यान अधिकारिता विषयक वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सार्वजनिक नीलामी में और अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी द्वारा यान जब्त किये जाने से छः मास की समाप्ति पर बेचा जायेगा और उसके आगम को प्रश्नगत क्षेत्र में अधिकारिता वाले दावा अधिकरण में दावे के मामलें में दिये जाने वाले प्रतिकर का समाधान करने के लिये जमा किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

नियम 206ग, 206घ तथा 206ङ का अन्तःस्थापन

5. मूल नियमावली के, नियम 206ख के पश्चात नियम 206 ग, 206 घ और 206 ङ अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा,–

206ग–रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी का कर्तव्य–(1) मोटरयान के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी शासन अनुज्ञप्ति जारी करने वाला अनुज्ञापन प्राधिकारी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा या रजिस्ट्रीकरण का शत्यापन सम्बन्धी प्रमाण पत्र और पूर्ण ब्यौरो के साथ अन्य दस्तावेजों और दुर्घटना मे अन्तर्ग्रस्त हुये यान के चालक का शासन अनुज्ञप्ति का रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जब अधिकरण द्वारा निर्देशित हो या बीमा कम्पनी द्वारा कहा गया हो।

(2) मोटरयान के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी और अनुज्ञापन प्राधिकारी व्यक्ति/व्यक्तियों को उपनियम (1) में उल्लिखित सूचना से जो प्रतिकर के लिये याचिका दाखिल किया है या दाखिल करना चाहता है या यथास्थिति मृतक के अगले सम्बन्धी या विधिक प्रतिनिधियों जो दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त हुये हो उपलब्ध करायेगा।

206घ धारा 158 की उपधारा (6) के अधीन प्रस्तुत की गयी पुलिस रिपोर्ट–(1) केन्द्रीय नियमावली के नियम 150 के साथ–साथ नियम 206क के उपनियम (1) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर दावा अधिकरण उसका परिशीलन करेगा और उसे विविध आवेदन के रूप में सूचीबद्ध करेगा और धारा 166 की उपधारा (4) के अन्तर्गत दुर्घटनाग्रस्त यान के मामले प्रभावी कार्यवाही करने हेतु पुलिस द्वारा, यथास्थिति, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति अथवा मृत व्यक्तियों के विधिक प्रतिनिधियों, मोटर यान का स्वामी, चालक व बीमा कम्पनी उपसंजाति होने के लिए नोटिस जारी करते हुए देने हेतु प्रारम्भिक सुनवाई की तिथि निर्धारित करेगा। पक्षकार के एक बार उपस्थित होने पर विविध आवेदन दावा वाद के रूप में परिवर्तित कर पंजीकृत किया जायेगा। जहां दावा अधिकरण मे दुर्घटना सूचना रिपोर्ट प्राप्त होने से पहले ही पक्षकार द्वारा दावा वाद दाखिल कर लिया हो तो उसे ऐसे दावा वाद के रूप में संलग्न किया जायेगा।

(2) सूचना की प्राप्ति पर, उपनियम (1) में उल्लिखित पक्षकारों से शपथ पत्र के माध्यम से उपसंजाति होने और घोषणा करने की अपेक्षा की जायेगी, यदि उसी वाद हेतु के सम्बन्ध में कोई दावा वाद किया जा चुका हो या किया जा रहा हो और यदि ऐसा हो तो दावा वाद के रूप में मानी गयी अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट को पक्षकारों द्वारा ऐसे दावा वाद को संलग्न किया जायेगा।

(3) यदि घायल व्यक्ति या मृतक व्यक्ति का विधिक प्रतिनिधि उपनियम (2) में उपदर्शित की गयी रीति से उपनियम (1) के अधीन जारी की गयी सूचना की अनुकिया में उपस्थित नहीं होते है/होता है तो दावा अधिकरण यह उपधारित कर सकता है कि उक्त पक्षकार ऐसे कार्यवाहियों में किसी प्रतिकर के लिये उसका पालन करने में हितबद्ध नहीं थे और ऐसी उपधारणा पर वाद को बंद कर दिया जायेगा।

(4) जब तक दावा वाद के रूप में मानी गयी पुलिस रिपोर्ट स्वयं पक्षकारों द्वारा किये गये स्वतन्त्र दावा वाद से सम्बद्ध नहीं कर दी जाती है तब तक दावा अधिकरण यथास्थिति घायल व्यक्ति या मृतक व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधियों और ऐसे व्यक्तियों, जो सूचना की अनुकिया में उपस्थित हुये हो, से प्रतिकर के सम्बन्ध में तथ्यों के कथन यदि उनके द्वारा दावा किया गया हो, प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा।

(5) यदि दावा किये गये प्रतिकर के बारे में तथ्यो और उनके आधार का कथन पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो वाद उसी रीति से अग्रतर आगे बढाया जायेगा जैसा कि दावा अधिकरण के समक्ष पक्षकारों द्वारा प्रतिकर के लिये सीधे दिये गये आवेदनों को निपटाने के लिये अपेक्षित होता है।

(6) यदि दावा किये गये प्रतिकर के सम्बन्ध में तथ्यों के कथन पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत कर दिये गये हो और तत्पश्चात प्रकट रूप से त्रुटि करता है तो सिविल प्रकिया संहिता, 1908 के आदेश नौ के उपबन्ध लागू होंगे।

Scanned with CamScanner

206क– बीमा कम्पनी के कर्तव्य–(1) बीमा कम्पनी, जिसने दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त यान का बीमा किया है, यान के बीमा और बीमा पालिसी के सम्बन्ध में तथ्यों को अभिनिश्चित और सत्यापित करेगी और अधिकरण के समक्ष दावा याचिका में लिखित कथन/आपत्ति के साथ बीमा पालिसी की अपेक्षित प्रतियों को भी दाखिल करेगी।

(2)बीमा कम्पनी ऐसे वादों में अधिनियम की धारा 140 के अधीन किसी त्रुटि दायित्व के सिद्धान्त पर अधिनिर्णय प्रतिकर के बराबर धनराशि अधिकरण में लिखित कथन के साथ जमा करेगी जहां बीमा पालिसी से आच्छादित मोटर यान वाद के परिणामस्वरूप मृत्यु या स्थायी निःशक्तता हुयी हो।

(3)उपनियम (2) के अधीन जमा की गयी प्रतिकर की धनराशि का भुगतान अधिकरण द्वारा युक्तियुक्तपूर्वक अधिरोपित निबंधन और शर्तों पर दावेदार को अंतरिम प्रतिकर के रूप में मामले में अंतिम अधिनिर्णय के साथ समायोजन के अध्यधीन आंशिक या पूर्ण रूप मे किया जा सकता है।

प्रपत्र एसआर 49ग का संशोधन

6. मूल नियमावली के प्रपत्र एसआर 49ग के शीर्ष में शब्दों अंको और कोष्ठक "नियम 205(क)(4)" के स्थान पर "नियम 206क(1) रखा जाएगा।

(2) उपरोक्त प्रपत्र के बिन्दु 3 दुर्घटना का दिनांक, समय और स्थान..... ..... के पश्चात कोष्टक में (माप यान पर बनायी गयी स्थल योजना तथा सभी कोणों से लिए गए फोटोग्राफ संलग्न किए जाएं) रखा जाएगा।

आज्ञा से,

शैलेश बगौली,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is hereby pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. **496/IX-1/38/2019,** dated October 11, 2019 for general information:

No. 496/IX-1/38/2019
Dated Dehradun, October 11, 2019

NOTIFICATION

WHEREAS, the state government is satisfied it is necessary and expedient to do so;

AND WHERAS the sub section (1) section 212 of the Moter Vehicles Act, 1988 requires the rules to be made under previous Publication;

Now Therefore, In exercise of the powers conferred under the previsions of section 176 read with sub section (1) of section 212 of the Motor Vehicle Act, 1988 (Act No. 59 of 1988), the Governor allows to publish the following draft of the Uttarakhand Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2019 in the Official Gazette for general information;

Scanned with CamScanner

2. The Governor, directs that beneficiary and public related to the said notification, may forward any representations, objections and suggestions related to this notification in writing to the Secretary, Transport Department, Government of Uttarakhand, Subhash Road, Dehradun-248001 within one week from the date of publication of the notification in the Official Gazette.

The Governor, also direct that after the said time period, no representations, objections and suggestions shall be accepted.

Uttarakhand Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2019

Short title and commencement

1 (1) These rules may be called the Uttarakhand Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2019.

(2) These rules shall come into force with effect from the date of their publication in the official Gazette.

Ommision of rule 205A, 205B and 205C

2 In the Uttarakhand Motor Vehicles Rules, 2011(herein after referred to as Principal rules) rule 205A, 205B and 205C shall be omitted.

Amendment of Rule 206

3. In the Principal rules, after sub-rule (7) of rule 206 the following sub-rule shall be inserted, namely;-

(8) **The Claims Tribunal shall maintain an Institution Register for recording the** accident information report/first information reports of accident, which are forwarded to it under sub-section (6) of section 158 of the Act and register them as miscellaneous application. It any private claim petition is directly filed by any person with reference to accident information report/first information reports, it shall also be recorded in the register.

Amendment of rule 206A and 206B

4. In the Principal rules for existing rule 206A and 206B as set out in column 1 below the rule as set out in column 2 shall be substitued, namely:-

column 1 existing rule	column 2 rule as hereby substituted
206A. Police report submitted under section 158 (6)-(1) On receipt of report of Investigating Police Officer submitted under sub rule (4) of rule 205A the	**206A. Duties of Investigating Police Officer- (1)** In addition to the particulars required to be furnished in form 54 under rule 150 of Central Motor Vehicles Rules, 1989 the Investigating Police Officer

Scanned with CamScanner

column 1 existing rule	column 2 rule as hereby substituted
Claims Tribunal shall go through the same and may call for such further information or material as considered necessary for proper and effective action in accordance with sub section (4) of section 166.	shall prepare a site plan, drawn on scale as to indicate the layout and width etc. of the road roads or place, as the case may be, the position of vehicle/vehicles, or persons, involved and such other facts, as the case may be, relevant, authenticated by the witnesses and in case no witness is available same shall be recorded, so as to preserve the evidence relating to accident. He shall also get the scene of accident photographed from such angles as to clearly depict the accident. He shall also submit site plan and photographs, document gathered and verified under this rule or action taken in case of documents found forged, copies of report under section 173 of the Code of Criminal Procedure, medicolegal reports and postmortem report (in case of death), first information report inter-alia for the purpose of proceeding and submit the report in for 49 C under these rule before the Claims Tribunal. Provided that such information shall also be furnished to the Insurance Company if required by or through its agent or by the injured/sufferer or next of the kin or legal representatives of the deceased of the accident.
(2) The Claims Tribunal after examining the report and further information/material, if called for, shall register the claim case thereon and, then, issue notice for appearance to all the parties concerned, which would include the victim of	(2) The Investigating Police Officer shall get full particulars of the insurance certificate/ policy in respect of the Motor Vehicle involved in the accident and to require the production of documents mentioned in sub section (1) of

Scanned with CamScanner

column 1 existing rule	column 2 rule as hereby substituted
the accident, or the driver, owner and insurer of the vehicle involved in the accident.	section 158, of the Motor Vehicles Act, 1988 and thereupon either to take the same in possession against receipt, or to retain the photocopies of the same, after attestation thereof by the person producing them.
(3) on receipt of notice the parties mentioned in sub rule (2) would be required to appear and declare through affidavit, if any, claim case had been preferred, or was being preferred in respect of the same cause of action, and if so, the report of Investigation Police Officer, treated as claim case, would be tagged to such claim case preferred independently by the parties.	(3) The Investigating Police Officer may verify the genuineness of the documents gathered under sub-rule (2) by obtaining confirmation in writing from the authority purporting to have issued the same.
(4) If the persons injured or legal representative of the person deceased do not appear in response to the notice issued under sub rule (2) in the manner indicated in sub rule (3) the Claims Tribunal may presume that the said parties were not interested in pursuing the same for any compensation in such proceedings, and on such presumption the case shall be closed.	(4) Duties of Investigating Police Officer enumerated in sub rules (1) to (3) shall be construed as if they are included in section 39 of Uttarakhand Police Act, 2007 as applicable in Uttarakhand and any breach thereof, shall entail consequences envisaged in that law.
(5) Unless the police report treated as claim case stands tagged to independent claim case preferred by the parties themselves, the Claims Tribunal shall call upon the	

Scanned with CamScanner

column 1 existing rule	column 2 rule as hereby substituted
person injured or legal representatives of the person, deceased, as the case may be, and the persons who have appeared in response to the notice, to submit statements of facts regarding compensation, if claimed by them.	
(6) If statements of facts about compensation claimed and basis thereof are furnished by the parties. The case shall be further proceeded in the same manner as required to deal with applications moved by the parties for compensation directly before the Claims Tribunal.	
(7) If the statements of facts about the compensation claimed, has been furnished by the parties and subsequently commits default in appearance, the provisions of Order IX of the Code of Civil Procedure 1908 would apply.	
206B. Duties of the Insurance Company- (1) The Insurance Company who has insured the vehicle involved in the accident shall ascertain and verify the facts about insurance and insurance policy of the vehicle and shall file the requisite copies of the	**206B. Prohibition against release of vehicle-** (1) No vehicle, involved in any accident, shall be released by Investigating Police Officer or any Police Officer superior to him unless a release order is passed by the Court having jurisdiction.

Scanned with CamScanner

column 1 existing rule	column 2 rule as hereby substituted
insurance policy along with the written statements/ objections in the claim petition before the Tribunal.	
(2) The Insurance Company shall deposit with the written statements in the Tribunal the amount equivalent to the compensation awardable on the principle of no fault liability under section 140 of the Act, in such cases where death or permanent disability have been caused as a result of the case of motor vehicle covered by the insurance policy.	(2) No vehicle, involved in any accident shall be released by the Judicial Magistrate, having jurisdiction, unless the compliance of sub-rules (1) to (3) of rule 206A is ensured from the Investigating Police Officer and duly attested copies of Registration Certificates, Insurance Certificate, Route Permit, Fitness Certificate of Vehicle as the case may be and Driving License of the driver who was driving at the time of accident are filed by the applicant.
(3)The amount of compensation deposited under sub rule (2) may be paid in part or full to the claimant on the terms and conditions reasonably imposed by the Tribunal as interim compensation subject to adjustment with the final award in the matter.	(3) No court shall release a vehicle involved in accident causing death or permanent disability when such vehicle is not covered by Policy of Insurance against third party risks unless the owner/registered owner of the vehicle furnishes sufficient security to the satisfaction of the court to pay compensation that may be awarded in a claim case arising out of such accident.
	(4) Where the vehicle is not covered by a policy of insurance against third party risks, or when the owner/registered owner of the vehicle has failed to furnish sufficient security under sub rule (3) or the policy of insurance produced by owner is found fake/forged, the vehicle shall be

Scanned with CamScanner

column 1 existing rule	column 2 rule as hereby substituted
	sold in public auction by the Judicial Magistrate, having jurisdiction, on expiry of six months of the vehicle being seized by the Investigating Police Officer and ' proceeds thereof, shall be deposited with the Claims Tribunal, having jurisdiction over the area in question, for the purpose of satisfying the compensation to be awarded in claim case.

Insertion of rules 206C, 206D and 206 E

5. In the Principal rules, after rule 206B the rules 206C, 206D and 206 E shall be inserted, namely:-

206C. Duties of registering authority-(1) The Registering Authority of motor vehicles and Licensing Authority, issuing driving license, shall submit a report or issue a certificate relating to verification of registration and other documents with complete details and of driving license of the driver of the vehicle involved in accident when directed by the Tribunal or asked by the Insurance Company.

(2) The Registering Authority of motor vehicles and Licensing Authority shall also provide information mentioned in sub rule (1) to the person/persons who wishes or have filed petitions for compensation or who is involved in an accident or his next of kin or to the legal representative of the deceased as the case may be.

206D. Police report submitted under sub-section (6) of/section 158- (1) On receipt of report under rule 150 of Central Rules alongwith report under sub-rule (1) of 206A the claims tribunal shall go through the same and shall list it as miscellaneous application and shall fix a date for preliminary hearing so as to enable the police to notify such date to the victim of accident or legal representatives of persons deceased, as the case may be, and the owner, driver and insurer of the vehicle involved in the accident for proper and effective action in accordance with sub section (4) of section 166. Once the claimants appear, the miscellaneous application shall be converted and registered to claim petition. Where a claimants file the claim petition even before the receipt of the accident information report by the Tribunal, the same may be tagged to the claim petition.

(2) on receipt of notice the parties mentioned in sub rule (1) would be required to appear and declare through affidavit, if any, claim case had been preferred, or was being preferred in respect of the same cause of action, and if so, the report of Investigation Police Officer, treated as claim case, would be tagged to such claim case preferred independently by the parties.

Scanned with CamScanner

(3) If the persons injured or legal representative of the person deceased do not appear in response to the notice issued under sub rule (1) in the manner indicated in sub rule (2) the Claims Tribunal may presume that the said parties were not interested in pursuing the same for any compensation in such proceedings, and on such presumption the case shall be closed.

(4) Unless the police report treated as claim case stands tagged to independent claim case preferred by the parties themselves, the Claims Tribunal shall call upon the person injured or legal representatives of the person, deceased, as the case may be, and the persons who have appeared in response to the notice, to submit statements of facts regarding compensation, if claimed by them.

(5) If statements of facts about compensation claimed and basis thereof are furnished by the parties, case shall be further proceeded in the same manner as required to deal with applications moved by the parties for compensation directly before the Claims Tribunal.

(6) If the statements of facts about the compensation claimed, has been furnished by the parties and subsequently commits default in appearance, the provisions of Order IX of the Code of Civil Procedure, 1908 would apply.

206E.Duties of the Insurance Company- (1) The Insurance Company who has insured the vehicle involved in the accident shall ascertain and verify the facts about insurance and insurance policy of the vehicle and shall file the requisite copies of the insurance policy along with the written statements/objections in the claim petition before the Tribunal.

(2) The Insurance Company shall deposit with the written statements in the Tribunal the amount equivalent to the compensation awardable on the principle of no fault liability under section 140 of the Act, in such cases where death or permanent disability have been caused as a result of the case of motor vehicle covered by the insurance policy.

(3)The amount of compensation deposited under sub rule (2) may be paid in part or full to the claimant on the terms and conditions reasonably imposed by the Tribunal as interim compensation subject to adjustment with the final award in the matter.

Amendment of Form SR 49C

6. (1) In the healing of Form SR 49c of the word Brackets and numerals 'rule 205A(4)'shall be substituted with word brackets and numerals 'rule '206A(1)'.

(2) In point. 3 of said form '(Copy of site plan, drawn on scale and photographes taken from all the angles as to clearly depict the accident are to be annexed)' in bracket shall be inserted after "Date, time and place of accident……'

By Order.

SHAILESH BAGAULI,
Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 22 परिवहन/488–2019–100+50 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

Scanned with CamScanner